/

(89)

नवीन कुमार

सत्यमेव जयते

CHIEF SECRETARY
GOVT. OF BIHAR
मुख्य सचिव, बिहार सरकार
Main Secretariat, Patna-800015
मुख्य सचिवालय, पटना-800015
Tel : 0612-2215804
Fax : 0612-2222085
0612-2217085

पत्र सं0 1535
दिनांक 20-03-2012

सेवा में,

**सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद।**

विषयः **तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं वित्तीय/भौतिक प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2010–11 के दो किस्तों की राशि एवं वित्तीय वर्ष 2011–12 की प्रथम किस्त की राशि पंचायती राज विभाग से आपके जिले के जिला परिषद्, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों को मुख्यतः आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु आवंटित की गई थी। परन्तु स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र तथा वित्तीय/भौतिक प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा से यह स्पष्ट हुआ है कि इन महत्वपूर्ण प्रतिवेदनों को जिलों से विभाग को उपलब्ध कराने की स्थिति अत्यन्त ही असंतोषजनक है। इस संबंध में निम्नांकित तथ्य उल्लेखनीय है :–

(क) वित्तीय वर्ष 2010–11 की प्रथम किस्त एवं द्वितीय किस्त की राशि विभागीय राज्यादेश संख्या क्रमशः 6900 दिनांक 17.08.2010 (आवंटनादेश सहित) एवं 01 दिनांक 31.05.11 के आलोक में आवंटनादेश संख्या–11(आ0) दिनांक 03.06.2011 द्वारा आवंटित की गई थी। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2011–12 की प्रथम किस्त की राशि विभागीय राज्यादेश संख्या 19 दिनांक 30.12.2011 के आलोक में आवंटनादेश संख्या–56(आ0) दिनांक 02.01.2012 द्वारा आवंटित की गयी है। तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राशि का सही उपयोग करते हुये उससे आंगनबाड़ी केन्द्र के निर्माण की प्रमाणिक स्थिति राज्य सरकार को प्राप्त हो, यह अत्यंत आवश्यक है। इस हेतु पूर्व में विभागीय पत्रांक 5102 दिनांक 26.07.2011 द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ–साथ भौतिक प्रगति प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र उपलब्ध कराया गया था। **पुनः विभागीय पत्रांक 690 दिनांक 31.01.2012 द्वारा परिमार्जित प्रपत्र भेजा गया था।**

आवंटित राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा निम्नांकित पत्र एवं स्मार भेजे गये है –

1. विभागीय पत्रांक 1107 दिनांक 21.02.2011 एवं स्मार पत्रांक 1353 दिनांक 03.03.2011
2. पत्रांक–4857 दिनांक 12.07.2011,
3. पत्रांक–5102 दिनांक 26.07.2011,
4. पत्रांक–6168 दिनांक 06.09.2011,
5. पत्रांक–7174 दिनांक 17.10.2011,
6. पत्रांक–7761 दिनांक 23.11.2011,
7. पत्रांक– 435 दिनांक 19.01.2012,
8. पत्रांक–690 दिनांक 31.01.2012,
9. पत्राक–1032 दिनाक 21.02.2012,
10. पत्रांक–1139 दिनांक 25.02.2012 एवं
11. पत्रांक–1211 दिनांक 01.03.2012।

सत्यमेव जयते

CHIEF SECRETARY
GOVT. OF BIHAR
मुख्य सचिव, बिहार सरकार
Main Secretariat, Patna-800015
मुख्य सचिवालय, पटना-800015
Tel : 0612-2215804
Fax : 0612-2222085
0612-2217085

(ख) इतने स्मारों के वावजूद भी अब तक मात्र गोपालगंज एवं सहरसा से वित्तीय वर्ष 2010–11 की दोनों किस्तों का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, परन्तु भौतिक और वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन इन जिलों से प्राप्त नहीं हुआ। औरंगाबाद, नवादा, वैशाली, जमुई एवं मधेपुरा जिला से वर्ष 2010–11 के मात्र प्रथम किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, परन्तु इन जिलों में से जमुई को छोड़कर अन्य जिले से भौतिक और वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। शेखपुरा, पूर्वी चम्पारण, समस्तीपुर एवं लखीसराय से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र पूर्ण राशि का नहीं है। जमुई से प्राप्त द्वितीय किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र आंशिक है। रोहतास एवं जहानाबाद जिले से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में नहीं है। वर्ष 2011–12 के प्रथम किस्त के संबंध में किसी भी जिला से उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं भौतिक/वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

2. आप इस तथ्य से अवगत हैं कि यह राशि अनुदान स्वरूप दी जाती है। अतः इसकी निकासी बिहार कोषागार संहिता के नियम 431 के आलोक में प्रपत्र 60 (बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 270 का प्रपत्र 42) में की जाती है। बिहार वित्त नियमावली एवं सी०ए०जी० द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के आलोक में अनुदानित राशि पर वित्तीय अनुशासन रखने की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है, जिसके आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण–पत्र (तथा उससे संबंधित भौतिक और वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन), जिसके माध्यम से यह सत्यापित किया जाता है कि राशि की निकासी निर्धारित उद्देश्य हेतु की गई और उसका व्यय सही रूप से उन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ही की गई, का दिया जाना अपरिहार्य है। ऐसा न किया जाना निर्धारित वित्तीय नियमों के प्रतिकूल है और इसके सीधे जिम्मेदार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होते हैं।

साथ ही जिस प्रकार ए०सी० बिल पर की गई अग्रिम निकासी के विरूद्ध जबतक डी०सी० बिल महालेखाकार को नहीं भेजा जाता है और वह महालेखाकार के द्वारा स्वीकार्य नहीं होता, तबतक ए0सी0 बिल से की गई निकासी का लेखा–जोखा महालेखाकार स्तर पर पूर्ण नहीं मानकर इसे वित्तीय नियमों और अनुशासन के प्रतिकूल रूप में महालेखाकार के द्वारा अपने प्रतिवेदन में दर्ज किया जाता है, उसी प्रकार अनुदान की राशि की निकासी का लेखा–जोखा तबतक महालेखाकार के द्वारा पूर्ण नहीं माना जाता जबतक उसके संबंध में विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार को समर्पित नहीं कर दिया जाता। विभाग द्वारा भी वित्त विभाग एवं सी०ए०जी० को अनुदानित राशि के सही उपयोग का ब्यौरा तभी भेजा जा सकता है, जब आपके द्वारा निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं वित्तीय/भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रमाणिक रूप से प्राप्त हो।

3. उपरोक्त के आलोक में स्पष्ट है कि आपके स्तर से पिछले वित्तीय वर्ष से ही 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में आवंटित की जा रही राशि के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं वित्तीय/भौतिक प्रगति प्रतिवेदन उचित रूप से ससमय नहीं भेजे ज़ाने की स्थिति अत्यंत गम्भीर है, एवं सरकार के स्तर पर पूर्णतया अस्वीकार्य है। इसलिए आपको यह निदेश दिया जाता है कि:

3.1 ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों तथा जिला परिषद् स्तर पर आवश्यकतानुसार कैम्प लगाकर और उनके अभिलेखों एवं लेखा–जोखा की पूरी गंभीरता से जांच कराते हुये उनसे उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं वित्तीय/भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त करें एवं विभाग को समेकित रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं वित्तीय/भौतिक प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में भेजें। **विभागीय पत्रांक 690 दिनांक 31.01.2012 द्वारा प्रेषित प्रपत्र को संशोधन के साथ अद्यतन किया गया है, जिसे संलग्न किया गया है। संलग्न प्रपत्र में ही आपसे प्रतिवेदन भेजा जायेगा एवं इन प्रपत्रों में दिनांक 06.04.2012 तक बिना चूक निम्नलिखित प्रतिवेदन आप अपने लेखा शाखा के उत्तरदायी स्टाफ, जो प्रतिवेदन के संबंध में पूरी तरह जानकार हों, के द्वारा पंचायती राज विभाग में हस्तगत करायें:**

सत्यमेव जयते

CHIEF SECRETARY
GOVT. OF BIHAR
मुख्य सचिव, बिहार सरकार
Main Secretariat, Patna-800015
मुख्य सचिवालय, पटना-800015
Tel : 0612-2215804
Fax : 0612-2222085
0612-2217085

(87)

(i) वर्ष 2010—11 के दोनों किस्तों के लिए प्राप्त राशि तथा इन दोनों किस्तों से संबंधित सूद की राशि के संदर्भ में पूरे वर्ष का समेकित उपयोगिता प्रमाण—पत्र तथा वित्तीय/भौतिक प्रगति प्रतिवेदन।

(ii) वर्ष 2011—12 के प्रथम किस्त तथा उससे संबंधित सूद की राशि के संदर्भ में उपयोगिता प्रमाण—पत्र तथा वित्तीय/भौतिक प्रगति प्रतिवेदन।

3.2 जिस प्रकार बी०आर०जी०एफ० की राशि का अंकेक्षण कराकर प्रतिवेदन भेजा जाता है, उसी प्रकार तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में भेजी जा रही राशि का भी वर्षवार अंकेक्षण कराकर अंकेक्षण प्रतिवेदन भेजा जायेगा। **इस आलोक में वित्तीय वर्ष 2010—11 में प्राप्त राशि और उसके खर्च का अंकेक्षण कराकर आप 31 मई, 2012 तक अंकेक्षण प्रतिवेदन भी निश्चित रूप से विभाग को प्रेषित करें।** वर्ष 2011—12 से हरेक वर्ष बिना चूक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन महीने की अवधि के अन्तर्गत अंकेक्षण करा लिया जाना आवश्यक होगा, और इसे सुनिश्चित कराना उप विकास आयुक्त—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी मानी जायेगी।

3.3 तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2011—12 की द्वितीय किस्त की राशि स्वीकृत की गयी है। चूँकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति निकट है, अतः इसका आवंटनादेश भी विभाग से भेजा जा रहा है। इस राशि को पंचायत राज संस्थाओं के सभी स्तर पर उपलब्ध कराते हुए यह भली—भाँति स्पष्ट कर दिया जाय कि पूर्व में उपलब्ध करायी गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं वित्तीय/भौतिक प्रगति प्रतिवेदन दिये बगैर उनके द्वारा इस राशि का उपयोग किये जाने पर इसकी जिम्मेवारी उनपर अलग से बनेगी और वे विधिसम्मत् कार्रवाई के भागी होंगे। यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि इसके बाद भविष्य में उपलब्ध की जाने वाले राशि के प्राप्ति के अधिकतम तीन महीने के अन्दर उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं वित्तीय/भौतिक प्रगति प्रतिवेदन न दिये जाने पर आगे के किस्तों को पाने के वो हकदार नहीं होंगे, और उनके द्वारा विलम्ब से प्रतिवेदन दिये जाने के फलस्वरूप उन्हें विलम्ब से राशि उपलब्ध कराने में यदि सरकार को कोई सूद की राशि देनी पड़ी, तो उसकी भरपाई के लिए मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।

4. यदि कंडिका—3.1 तथा 3.2 में दिये गये निदेशों का अनुपालन उनमें उल्लिखित निर्धारित तिथियों तक विभाग में नहीं प्राप्त होता है, तो संबंधित उत्तरदायी पदाधिकारी को नामित करते हुये सरकार को उनके विरूद्ध समुचित अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव प्रधान सचिव देंगे।

कृपया विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये इसपर उच्च प्राथमिकता से कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

विश्वासभाजन,

14/3/12

(नवीन कुमार)

अनुलग्नक—यथोक्त।

...वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत अनुदान राशि का वित्तीय/भौतिक प्रगति प्रतिवेदन

पंचायती राज विभाग को भेजा जाने वाला जिला का समेकित प्रतिवेदन

जिला :–

माह :–

क्रम	पंचायत राज संस्था का नाम	पंचायती राज संस्थाओं की संख्या	01.04....... को उपलब्ध राशि	वित्तीय वर्ष 20..........–.......... में प्राप्त राशि					कुल उपलब्ध राशि	प्राप्त/उपलब्ध राशि से ली गयी योजना एवं इस पर प्रतिवेदित माह तक खर्च												आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा अन्य योजनाओं के निर्माण पर प्रतिवेदित माह तक कुल खर्च	कुल शेष राशि	अभ्युक्ति
										आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण						अन्य योजना								
				प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	विलम्ब हेतु सरकार प्राप्त सूद इत्यादि	बैंक से खाते में प्राप्त सूद की राशि	कुल		01.04....... तक अपूर्ण केन्द्र की संख्या	वित्तीय वर्ष ....–....... में ली गई केन्द्र की संख्या	कुल संख्या	प्रतिवेदित माह तक इसके विरूद्ध पूर्ण केन्द्र की संख्या	शेष अपूर्ण केन्द्र की संख्या	वित्तीय वर्ष के आरंभ से प्रतिवेदित माह तक आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण पर कुल खर्च	01.04.......... तक अपूर्ण योजना की प्रकृतिवार/नामवार संख्या	वित्तीय वर्ष ....–.... में ली गई योजना की संख्या	कुल संख्या	प्रतिवेदित माह तक इसके विरूद्ध पूर्ण योजना की संख्या	शेष अपूर्ण योजना की संख्या	वित्तीय वर्ष के आरंभ से प्रतिवेदित माह तक इन योजनाओं के निर्माण पर कुल खर्च			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (11+12)	14	15	16	17	18	19 (17+18)	20	21	22	23 (16+22)	24 (10-23)	25
1	जिला परिषद्																							
2	पंचायत समिति																							
3	ग्राम पंचायत																							
	कुल –																							

प्रमाणित किया जाता है कि जिला का यह समेकित प्रतिवेदन सभी स्तरों के पंचायतों से निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त प्रतिवेदन की भली–भाँति समीक्षा और संतुष्टि के उपरान्त शुद्ध रूप से तैयार किया गया है।

जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला ....

निकासी–सह–व्ययन पदाधिकारी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् ....

नोट: कॉलम – 17, 18 में आंगनबाड़ी केन्द्रों के अलावा यदि कोई अन्य योजना ली गई है, तो उनकी प्रकृति के अनुसार अलग–अलग क्रम में योजना नामवार संख्या दर्शाया जाना है, और कॉलम–19, 20 तथा 21 में उन्हीं नामवार योजनाओं के विरूद्ध अपेक्षित सूचनाएं अंकित की जानी है।

मात्र इसी प्रपत्र में ही जिलों द्वारा विभाग को जिला का समेकित प्रतिवेदन भेजा जाना है।

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत अनुदान राशि का वित्तीय/भौतिक प्रगति प्रतिवेदन

जिला परिषद् का प्रतिवेदन

जिला परिषद् :–

माह :–

क्रम	पंचायत राज संस्था का नाम	जिला परिषद् के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों की संख्या	01.04..... को उपलब्ध राशि	वित्तीय वर्ष 20.....–..... में प्राप्त राशि					कुल उपलब्ध राशि	प्राप्त/उपलब्ध राशि से ली गयी योजना एवं इस पर प्रतिवेदित माह तक खर्च												आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा अन्य योजनाओं के निर्माण पर प्रतिवेदित माह तक कुल खर्च	कुल शेष राशि	अभ्युक्ति
										आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण						अन्य योजना										
				प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	विलम्ब हेतु सरकार से प्राप्त सूद इत्यादि	बैंक से खाते में प्राप्त सूद की राशि	कुल		01.04..... तक अपूर्ण केन्द्र की संख्या	वित्तीय वर्ष .....–..... में ली गई केन्द्र की संख्या	कुल संख्या	प्रतिवेदित माह तक इसके विरूद्ध पूर्ण केन्द्र की संख्या	शेष अपूर्ण केन्द्र की संख्या	वित्तीय वर्ष के आरंभ से प्रतिवेदित माह तक आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण पर कुल खर्च	01.04..... तक अपूर्ण योजना की प्रकृतिवार/नामवार संख्या	वित्तीय वर्ष .....–..... में ली गई योजना की संख्या	कुल संख्या	प्रतिवेदित माह तक इसके विरूद्ध पूर्ण योजना की संख्या	शेष अपूर्ण योजना की संख्या	वित्तीय वर्ष के आरंभ से प्रतिवेदित माह तक इन योजनाओं के निर्माण पर कुल खर्च			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (11+12	14	15	16	17	18	19 (17+18)	20	21	22	23 (16+22)	24 (10-23)	25
1	जिला परिषद्																							
	कुल –																							

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रतिवेदन जिला परिषद् ..... में 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त राशि के उपयोग हेतु संधारित प्रमाणित लेखा–जोखा, अभिलेखों एवं अन्य संबंधित कागजातों की भली–भाँति समीक्षा और संतुष्टि के उपरान्त शुद्ध रूप से तैयार किया गया है। प्रमाणित किया जाता है कि इस प्रतिवेदन में उल्लिखित आंगनबाड़ी तथा अन्य योजनाओं का निर्माण/प्रगति मात्र 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त राशि से ही किया गया है, और किसी अन्य स्कीम के अन्तर्गत प्राप्ति राशि से निर्माण किये जा रहे ऐसी योजनाओं को इस प्रतिवेदन में सन्निहित नहीं किया गया है।

जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला .....

उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् .....

नोटः कॉलम – 17, 18 में आंगनबाड़ी केन्द्रों के अलावा यदि कोई अन्य योजना ली गई है, तो उनकी प्रकृति के अनुसार अलग–अलग क्रम में योजना नामवार संख्या दर्शाया जाना है, और कॉलम–19, 20 तथा 21 में उन्हीं नामवार योजनाओं के विरूद्ध अपेक्षित सूचनाएं अंकित की जानी है।

इस प्रपत्र में जिला परिषद् द्वारा जिला परिषद् को प्राप्त राशि के संबंध में प्रतिवेदन तैयार किया जाना है।

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत अनुदान राशि का वित्तीय/भौतिक प्रगति प्रतिवेदन

पंचायत समिति का प्रतिवेदन

पंचायत समिति :–

प्रखंड :–

जिला :–

माह :–

क्रम	पंचायत राज संस्था	नाम/ पता	01.04....... को उपलब्ध राशि	वित्तीय वर्ष 20..........–.......... में प्राप्त राशि					कुल उपलब्ध राशि	प्राप्त/उपलब्ध राशि से ली गयी योजना एवं इस पर प्रतिवेदित माह तक खर्च												आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा अन्य योजनाओं के निर्माण पर प्रतिवेदित माह तक कुल खर्च	कुल शेष राशि	अभ्युक्ति
										आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण						अन्य योजना								
				प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	विलम्ब हेतु सरकार से प्राप्त सूद इत्यादि	बैंक से खाते में प्राप्त सूद की राशि	कुल		01.04....... तक अपूर्ण केन्द्र की संख्या	वित्तीय वर्ष ....–........ में ली गई केन्द्र की संख्या	कुल संख्या	प्रतिवेदित माह तक इसके विरूद्ध पूर्ण केन्द्र की संख्या	शेष अपूर्ण केन्द्र की संख्या	वित्तीय वर्ष के आरंभ से प्रतिवेदित माह तक आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण पर कुल खर्च	01.04.......... तक अपूर्ण योजना की प्रकृतिवार/ नामवार संख्या	वित्तीय वर्ष .....–.... में ली गई योजना की संख्या	कुल संख्या	प्रतिवेदित माह तक इसके विरूद्ध पूर्ण योजना की संख्या	शेष अपूर्ण योजना की संख्या	वित्तीय वर्ष के आरंभ से प्रतिवेदित माह तक इन योजनाओं के निर्माण पर कुल खर्च			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (11+1	14	15	16	17	18	19 (17+18)	20	21	22	23 (16+22)	24 (10-23)	25
1	पंचायत समिति	पंचायत समिति																						
2	ग्राम पंचायत	2.1 ग्राम पंचायत																						
		2.2 ग्राम पंचायत																						
		2.3 ग्राम पंचायत																						
		....																						
		ग्राम पंचायत सब टोटल																						
	पंचायत समिति एवं सभी ग्राम पंचायत का ग्रैण्ड टोटल																							
	कुल –																							

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रतिवेदन पंचायत समिति .... एवं इस पंचायत समिति के अन्तर्गत .... ग्राम पंचायतों में 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त राशि के उपयोग हेतु संधारित प्रमाणित लेखा–जोखा, अभिलेखों एवं अन्य संबंधित कागजातों की भली–भाँति समीक्षा और संतुष्टि के उपरान्त शुद्ध रूप से तैयार किया गया है। प्रमाणित किया जाता है कि इस प्रतिवेदन में उल्लिखित आंगनबाड़ी तथा अन्य योजनाओं का निर्माण/प्रगति मात्र 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त राशि से ही किया गया है, और किसी अन्य स्कीम के अन्तर्गत प्राप्ति राशि से निर्माण किये जा रहे ऐसी योजनाओं को इस प्रतिवेदन में सन्निहित नहीं किया गया है।

प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी

प्रखंड विकास पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

नोटः– कॉलम – 17, 18 में आंगनबाड़ी केन्द्रों के अलावा यदि कोई अन्य योजना ली गई है, तो उनकी प्रकृति के अनुसार अलग–अलग क्रम में योजना नामवार संख्या दर्शाया जाना है, और कॉलम–19, 20 तथा 21 में उन्हीं नामवार योजनाओं के विरूद्ध अपेक्षित सूचनाएं अंकित की जानी है।

इस प्रपत्र में पंचायत समिति द्वारा अपने पंचायत समिति एवं उसके अन्तर्गत सभी ग्राम पंचायतों के संदर्भ में समेकित प्रतिवेदन तैयार किया जाना है एवं ससमय संबंधित जिला परिषद को उपलब्ध कराया जाना है।

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत अनुदान राशि का वित्तीय/भौतिक प्रगति प्रतिवेदन

ग्राम पंचायत का प्रतिवेदन

ग्राम पंचायत :– पंचायत समिति :– प्रखंड :– जिला :–

माह :–

क्रम	पंचायत राज संस्था का नाम	ग्राम पंचायत के अन्तर्गत ग्रामों की संख्या	01.04....... को उपलब्ध राशि	वित्तीय वर्ष 20...........–........... में प्राप्त राशि					कुल उपलब्ध राशि	प्राप्त/उपलब्ध राशि से ली गयी योजना एवं इस पर प्रतिवेदित माह तक खर्च												आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा अन्य योजनाओं के निर्माण पर प्रतिवेदित माह तक कुल खर्च	कुल शेष राशि	अभ्युक्ति
										आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण						अन्य योजना								
				प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	विलम्ब हेतु सरकार से प्राप्त सूद इत्यादि	बैंक से खाते में प्राप्त सूद की राशि	कुल		01.04....... तक अपूर्ण केन्द्र की संख्या	वित्तीय वर्ष ....–....... में ली गई केन्द्र की संख्या	कुल संख्या	प्रतिवेदित माह तक इसके विरूद्ध पूर्ण केन्द्र की संख्या	शेष अपूर्ण केन्द्र की संख्या	वित्तीय वर्ष के आरंभ से प्रतिवेदित माह तक आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण पर कुल खर्च	01.04....... तक अपूर्ण योजना की प्रकृतिवार/नामवार संख्या	वित्तीय वर्ष .....–.... में ली गई योजना की संख्या	कुल संख्या	प्रतिवेदित माह तक इसके विरूद्ध पूर्ण योजना की संख्या	शेष अपूर्ण योजना की संख्या	वित्तीय वर्ष के आरंभ से प्रतिवेदित माह तक इन योजनाओं के निर्माण पर कुल खर्च			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (11+12	14	15	16	17	18	19 (17+18)	20	21	22	23 (16+22)	24 (10-23)	25
1	ग्राम पंचायत																							
	कुल –																							

प्रमाणित किय, जाता है कि यह प्रतिवेदन ग्राम पंचायत .... में 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त राशि के उपयोग हेतु संधारित प्रमाणित लेखा–जोखा, अभिलेखों एवं अन्य संबंधित कागजातों की भली–भाँति समीक्षा और संतुष्टि के उपरान्त शुद्ध रूप से तैयार किया गया है। प्रमाणित किया जाता है कि इस प्रतिवेदन में उल्लिखित आंगनबाड़ी तथा अन्य योजनाओं का निर्माण/प्रगति मात्र 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त राशि से ही किया गया है, और किसी अन्य स्कीम के अन्तर्गत प्राप्ति राशि से निर्माण किये जा रहे ऐसी योजनाओं को इस प्रतिवेदन में सन्निहित नहीं किया गया है।

मुखिया

पंचायत सचिव–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

नोटः– कॉलम – 17, 18 में आंगनबाड़ी केन्द्रों के अलावा यदि कोई अन्य योजना ली गई है, तो उनकी प्रकृति के अनुसार अलग–अलग क्रम में योजना नामवार संख्या दर्शाया जाना है, और कॉलम–19, 20 तथा 21 में उन्हीं नामवार योजनाओं के विरूद्ध अपेक्षित सूचनाएं अंकित की जानी है।

इस प्रपत्र में ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिवेदन तैयार किया जाना है एवं इसे ससमय संबंधित पंचायत समिति को उपलब्ध कराया जाना है।

ANNEXURE "B"

FORM OF UTILIZATION CERTIFICATE

1.Certified that out of Rs..... of Grants-in aid sanctioned during the year.....in favour of .....under this Ministry/ Department letter no.given in the table below , and Rs..... on account of unspent balance of the previous year , a sum of Rs.....has been utilized for the purpose for which it was sanctioned and that the balance of Rs.....remained unutilized at the end of the year.....has been surrendered to the Govt. vide letter No.....dated...../will be adjusted towards the grants-in aid payable during the next financial year

2.Certified that I have satisfied myself that the conditions, on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually spent for the purpose for which it was sanctioned.

Kinds of checks exercised.

i. .....
ii. .....
iii. .....
iv. .....

3. Particulars of Grants-in-aid:

Sl. No.	Sanction letter No. and date	Name of the grantee	Purpose of the grant.	Amount of grants drawn	T.V. No. & date of drawal	Amount Utilized	Balance	Amount Surrendered (with letter no. & date
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Signature & Designation of the competent authority of the department sanctioning Grants-in-aid

Date: